[1][नियम 96क : बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं [2][का निर्यात]

(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के विकल्प का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को,–

(क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् [3][या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी,] पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर(या

[4][**(ख)** निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, एक वर्ष की समाप्ति के पन्द्रह दिन पश्चात, या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन दी गई अवधि, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात अवधि का कोई विस्तार भी सम्मिलित है, जो भी पश्चात्वर्ती हों, या आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की गई ऐसी अतिरिक्त अवधि, यदि जहां भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमती दी गई हों, ऐसी सेवाओं का संदाय निर्यातक द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या भारतीय रूपए में प्राप्त नहीं किया जाता है।]]

धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–11** में बंधपत्र या परिवचन पत्र देगा।

(2) सामान्य पोर्टल पर दिए गए [5][**प्ररूप जीएसटीआर–1, प्ररूप जीएसटीआर–1क** में यथा संशोधित, यदि कोई हों] निर्यात बीजकों के ब्यौरें इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह संपुष्टि कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, इलैक्ट्रानिक रूप से, उक्त सिस्टम से सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा नियम 96क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 47/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.10.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.10.2017)।

4 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा खंड (ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

(ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में [A][या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, प्राप्त नहीं होता है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए]

A. अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

5 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा ''**प्ररूप जीएसटीआर–1** में अंतर्विष्ट'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

[6][**परन्तु** यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर–1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में स्वतः प्रारूपित की जाएगी।]

(3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप–नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 79 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की वसूली की जाएगी।

(4) उप–नियम (3) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगें।]

---

[6] पहले अधिसूचना क्रमांक 51/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.10.2017 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.10.2017)।